

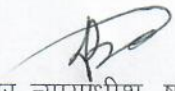
अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी।

स्वत्व वाद 67 / 1995

29-11-2022

प्रस्तुत अधिकार वाद आज उपस्थापित किया गया। वादी की ओर से हाजिरी दी गई एवं प्रतिवादी सं०-2, 3, 6, 8 एवं 10 से 13 की ओर से हाजिरी दी गई। पुकार किया गया। पुकार पर सुनवाई हेतु वादी, प्रतिवादी सं०-2, 3, 6, 8 एवं 10 से 13 की ओर से हाजिर हुए। प्रतिवादी सं०-8 के विद्वान अधिवक्ता अपने पूर्व के आवेदन दिनांक-16.07.2019 के आवेदन को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि प्रतिवादी सं०-8 सैयद शाह इशरार हुसैन की मृत्यु दिनांक-20.03.2018 को हुई जो अपने पीछे दो पुत्र आफताब हुसैन, एस.एम. शकील एवं एक पुत्री जेबी जबीन को छोड़ गए हैं। ये उनके विधिक प्रतिनिधि हैं, और विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से इन्हें प्रतिवादी सं०-8 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाय। वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं अन्य प्रतिवादीगण भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते हैं। सुना। अभिलेख का अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी के द्वारा दिए गए आवेदन प्रस्तुत अधिकार वाद में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाता है। साथ-ही प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिस्थापित प्रतिवादी का नाम दर्ज करें एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रतिवादी सं०-10 से 13 के दाखिल आवेदन पर आंशिक रूप से सुना। वाद वास्ते 30.11.2022 शेष सुनवाई हेतु।

लेखापित


अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी

30-11-2022

प्रस्तुत अधिकार वाद आज उपस्थापित किया गया। वादी की ओर से हाजिरी दी गई एवं प्रतिवादी सं०-2, 6 एवं 10 से 13 की ओर से हाजिरी दी गई। पुकार किया गया। पुकार पर सुनवाई हेतु वादी, प्रतिवादी सं०-2, 6, 8 एवं 10 से 13 की ओर से हाजिर हुए। वादी पक्ष अपने शेष सुनवाई को प्रारंभ करते हुए आज सुनवाई समाप्त किए एवं प्रतिवादी सं०-8 ने भी, प्रतिवादी सं०-10 से 13 के पूर्व के आवेदन पर सुनवाई किए एवं प्रतिवादी सं०-10 से 13 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि मेरे वरीय अधिवक्ता पटना से प्रत्युत्तर के रूप में सुनवाई हेतु आयेंगे, उसके लिए अगली तिथि निर्धारित की जाय। वाद वास्ते दिनांक-01.12.2022 सुनवाई हेतु।

लेखापित


अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी